न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
54 / 2022	दावा	18.04.2022	13.06 2023

1. किशनसिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू — वादी

बनाम

1. गोपालसिह पुत्र किशनसिह जाति राजपूत निवासी हाल नाकरासर तहसील व जिला चूरू
2. गौराकंवर पुत्री प्रेमसिह (मृतक जरिये विधिक वारिसान)
   2/1 मोहिनी पुत्री गौराकंवर
   2/2 गुलाबकंवर पुत्री गौराकंवर
   2/3 भादरसिह पुत्र गौराकंवर (मृतक जरिये विधिक वारिसान)
   2/3/1 उच्छबकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/2 प्रहलादसिह पुत्र भादरसिह
   2/3/3 धापूकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/4 सरोजकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/5 संजनाकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/6 किरणकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/7 उपेन्द्रसिह पुत्र भादरसिह
3. सोनकंवर पुत्री प्रेमसिंह (मृतक जरिये विधिक वारिसान)
   1/1 रामसिह पुत्र सोनकंवर
   समस्त जाति राजपूत निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
5. चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड चूरू जरिये प्रबन्धक।

— प्रतिवादीगण—

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री विजयसिंह एडवोकेट प्रतिवादी
2 पैरोकार राज

निर्णय

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अपील/डिकी/टी.ए./3887/2019/चूरू में आदेश दिनांक 15.03.2022 से अपील अपीलाण्ट बरूऐ राजीनामा स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी चूरू का निर्णय व डिकी दिनांक 06.02.2008 एवं निस्तारित की जाकर उपखण्ड अधिकारी चूरू का निर्णय व डिकी दिनांक 06.02.2008 एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 16.07.2019 [illegible] है कि राजीनामें का अवलोकन कर अपास्त किये जाकर इस न्यायालय को निर्देशित [illegible] निर्णय करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:44 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि [illegible] खसरा नम्बर 72 ता[illegible]20 बीघा 06 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 290 तादादी 5.1345 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही मौजा [illegible]र तहसील चूरू में

स्थित है। जो सैटलमेण्ट सम्वत 2028 से पूर्व वादी व उसके बड़े भाई उदयसिह के ब हिस्सा बराबर खुदकास्त खातेदारी में चली आ रही थी। जमाबन्दी सं. 2013 से 16, 2017 से 2020 में वादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। सैटलमेण्ट के दौरान वादग्रस्त संम्पूर्ण भूमि वादी के बड़े भाई उदयसिंह के नाम गलत दर्ज कर दी बताते हुए एक वाद प्रस्तुत किया गया। जिसे 16/2004 पर दर्ज किया गया। सम्पूर्ण भूमि उदयसिह के नाम दर्ज होने से दिनांक 01.05.2000 को एक वसीयतनामा गोपालसिह के पक्ष में पंजीबद्ध करवा दिया गया जिसे वैद्य एवं शून्य घोषित करवा दिया तथा वादी का सम्पूर्ण भूमि में कुल 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा शामिल करवा दिया गया । जिससे व्यवथित होकर गोपालसिह ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2008 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2019 से अपीलाण्ट की अपील खारिज कर दी गई जिससे अप्रसन्न होकर अपीलाण्ट गोपालसिह ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील सं. 3887/2019 अनुवानी गोपालसिह बनाम किशनसिह प्रस्तुत की गयी। विचाराधिन प्रकरण में दिनांक 09.12.2020 को अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट ने जरिये अधिवक्ता के प्रश्नगत अपील मुताबिक राजीनामें के निस्तारित करवाने हेतु राजीनामा प्रस्तुंत किया गया। जिसे उपस्थित पक्षकारों को पढकर सुनाये जाने पर इसे सही होना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षकर किये । पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जाने पर अति. निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर एक प्रति राजीनामा की भिजवाते हुए अपील अपीलाण्ट बरूऐ राजीनामा निस्तारित की जाकर एवं उपखण्ड अधिकारी चूरू का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2008 एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 16.07.2019 अपास्त किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू को निर्देशित किया गया है कि प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन कर निर्णय पारित करें।

निर्देशानुसार पत्रावली को पुनः सुनवाई में ली गयी । प्रकरण में राजीनामा हो चुका है जिसकी तस्दीक माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा की जा चुकी है तथा पक्षकारों द्वारा राजीनामें के अनुसार निर्णय किये जाने में पक्षकार आपस में सहमत हैं। उपरोक्त अनुवानी दावा में वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षकार अपने दावा को सहमति व स्वीकृति के आधार पर निम्नानुसार राजीनामा डिक्री करवाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है।

:: <u>राजीनामा के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है</u> ::

(1) यह कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) यह कि प्रकरण के संक्षेप में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से है कि असल रेस्पो0 किशनसिह ने विद्वान [illegible] एक राजस्व वाद पत्र संख्या 16/2004 बउनवानी किशनसिह बनाम [illegible] अंतर्गत धारा 88 रा.का.अ. 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी [illegible] खसरा नम्बर 72 रकबा 20 बीघा 06 बिश्वा हाल खसरा [illegible] भूमि के बाबत प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने निर्णय एवं डि[illegible] दिनांक 06.02.2008 से डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने एक प्रथम अपील संख्या 84/2008 अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:44 IST
Reason: SelfAttested

223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होनें निर्णय दिनांक 16.07.2019 से खारिज कर दी । उक्त दोनों निर्णयों एवं डिक्री से व्यथित होकर इनके विरूद्ध अपीलाण्ट ने प्रश्नगत अपील संख्या 3887/2019 बउनवानी गोपालसिह बनाम किशनसिह अंतर्गत धारा 224 रा.का.अ. 1955 के तहत माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की, जो वर्तमान में लम्बित है, जिसमें उभयपक्ष प्रश्नगत राजीनामा कर रहे हैं एवं प्रश्नगत अपील को मुताबिक राजीनामा निस्तारित करवाना चाहते हैं।

(3) यह कि प्रश्नगत प्रकरण में यह एक निर्विवादित तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रथम व द्वितीय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे पिता पुत्र हैं इसलिये प्रथम एवं द्वितीय पक्ष विवादित आराजी के मौके एवं परिवार में अपने पारिवारिक सोहार्द, शान्ति, समन्वय बनाये रखने के लिये अनर्तग्रस्त विवादित आराजी के संबंध में प्रश्नगत राजीनामा के अनुसार प्रश्नगत अपील का निस्तारण करवाना चाहते हैं। अतः सौहार्दपूर्ण तरीके से पारस्परिक सहमति के आधार पर उभयपक्षों के मध्य आपसी मुकदमें बाजी को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रश्नगत अपील का निस्तारण राजीनामा के अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

(4) यह कि मुताबिक राजीनामा प्रश्नगत अपील स्वीकार फरमाते हुये अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय क्रमशः विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा अपील संख्या 84/2008 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2019 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा वाद पत्र संख्या 16/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2008 खारिज करते हुये मूल वाद पत्र को निरस्त कर विवादित आराजी पंजीकृत वसीयत दिनांक 01.05.2000 के आधार पर अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने पर उभयपक्ष सहमत हुये हैं एवं विवाद उक्तानुसार तय हो जाने से स्पष्ट है कि उभयपक्षों के मध्य अब कोई विवाद स्वत्व/हिस्सों की घोषणा बाबत शेष नहीं रहा है, इसलिये प्रश्नगत अपील का निस्तारण मुताबिक राजीनामा ही किया जाना न्यायोचित है।

(5) यह कि उक्त राजीनामा उभयपक्षों ने अपनी स्वेच्छा, बगैर किसी नशे पते व दबाव के किया है, जिसे उभयपक्षों ने अपनी भाषा में उसे पढ़ व सुनकर समझ लिया है एवं उभय पक्ष उक्त राजीनामा से हमेशा पाबन्द रहेंगें व विवादित भूमि के प्रश्नगत राजीनामे के संबंध में उभयपक्ष व इनके वारिसान किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं लड़ेंगें। अतः प्रश्नगत अपील का निस्तारण मुताबिक राजीनामा किया जाना न्यायोचित है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा प्रश्नगत अपील को स्वीकार फरमाते हुये विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा अपील संख्या 84/2008 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2019 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा वाद पत्र संख्या 16/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2008 खारिज करते हुये मूल वाद पत्र को निरस्त कर विवादित आराजी पंजीकृत वसीयत दिनांक 01.05.2000 के आधार पर अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदत्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:44 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामा का अवलोकन किया गया । राजीनामा आपसी सहमति एवं स्वेच्छा से तथा बगैर नशे पते के बिना किसी दबाव के किया गया है जिस पर पक्षकारों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी है। पक्षकार इस बिन्दू पर सहमत हैं कि वादी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 01.05.2000 के आधार पर कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज कर दी जावे। चूंकि पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा के अनुसार निर्णय किया जाना न्यायोचित है । प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्षकारों ने अपनी स्वीकृति एवं सहमति प्रदान की है। अतः पक्षकारों द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

निर्णय

अतः लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि रोही ग्राम नाकरासर पुराना खसरा नम्बर 72 तादादी 20 बीघा 06 बिश्वा वर्तमान ख. नं. 290 तादादी 5.1345 हैक्टेयर को पंजिकृत वसीयतनामा दिनांक 01.05.2000 के आधार पर गोपालसिह पुत्र किशनसिह जाति राजपूत निवासी नाकरासर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं । तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:44 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, चूरू

इजलास : श्री उगमसिह राजपुरोहित आर0ए0एस0

1. किशनसिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. गोपालसिह पुत्र किशनसिह जाति राजपूत निवासी हाल नाकरासर तहसील व जिला चूरू
2. गौराकंवर पुत्री प्रेमसिह (मृतक जरिये विधिक वारिसान)
   2/1 मोहिनी पुत्री गौराकंवर
   2/2 गुलाबकंवर पुत्री गौराकंवर
   2/3 भादरसिह पुत्र गौराकंवर (मृतक जरिये विधिक वारिसान)
   2/3/1 उच्छबकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/2 प्रहलादसिह पुत्र भादरसिह
   2/3/3 धापूकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/4 सरोजकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/5 संजनाकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/6 किरणकंवर पुत्री भादरसिह
   2/3/7 उपेन्द्रसिह पुत्र भादरसिह
3. सोनकंवर पुत्री प्रेमसिंह (मृतक जरिये विधिक वारिसान)
   1/1 रामसिह पुत्र सोनकंवर
   समस्त जाति राजपूत निवासी नाकरासर तहसील व जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
5. चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड चूरू जरिये प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण–

मुकदमा नं. 54/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्[illegible] हाजरी प्रतिवादी सं. 01 की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री विजयसिंह शेखावत [illegible] प्रतिवादी सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता योग्य अधिवक्ता मिनजानिब मुदईयालाह पेश [illegible]कर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बरूऐ राजीनामा स्वीका[illegible] वादी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 01.05.2000 के आधार पर वाद[illegible] कृषि भूमि रोही ग्राम नाकरासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:44 IST
Reason: SelfAttested

पुराना खसरा नम्बर 72 तादादी 20 बीघा 06 बिश्वा वर्तमान ख. नं. 290 तादादी 5.1345 हैक्टेयर को गोपालसिह पुत्र किशनसिह जाति राजपूत निवासी नाकरासर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं । तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक 13 माह जून सन् 2023 को जारी की गयी।

(उगमसिह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:44 IST
Reason: SelfAttested